कार्यालय हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

संख्याः 1396 /महायोजना–2041/117/2026–27

दिनांकः 30 जून, 2026

हरिद्वार महायोजना–2041 (प्रारूप) तथा रूड़की महायोजना (प्रारूप) पर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर जनसुनवाई हेतु आमंत्रण।

हरिद्वार महायोजना–2041 (प्रारूप) तथा रूड़की महायोजना (प्रारूप) की प्रदर्शनी हरिद्वार एवं रूड़की के अन्तर्गत आयोजित की गई थी जिसके अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर शासन द्वारा गठित समिति द्वारा जनसुनवाई का आयोजन पूर्व में किया गया था। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में हरिद्वार महायोजना–2041 (प्रारूप) तथा रूड़की महोयोजना–2041 (प्रारूप) पर जनसामान्य/राजकीय/अर्द्ध–राजकीय संस्थानों एवं अभिकरणों आदि से दिनांक 15.04.2026 से 29.04.2026 तक पुनः आपत्ति एवं सुझाव उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा प्राप्त किये गये हैं। उपरोक्त आपत्तियों पर सुनवाई हेतु दिनांक 08.06.2026, 09.06.2026 एवं 11.06.2026 नियत की गयी थी परन्तु अपरिहार्य कारणों से उक्त सुनवाई स्थगित की गयी थी।

उपरोक्त के क्रम में हरिद्वार एवं रूड़की महायोजना–2041 (प्रारूप) पर जनसामान्य/राजकीय/अर्द्ध–राजकीय संस्थानों एवं अभिकरणों आदि से दिनांक 15.04.2026 से 29.04.2026 तक में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर पुनः सुनवाई हेतु समस्त अनापत्तिकर्ता/सुझावकर्ता को आमंत्रित किया जाता है। उक्त सुनवाई हेतु आमंत्रण डाक द्वारा भी प्रेषित किया जा रहा है यद्यपि डाक द्वारा आमंत्रण प्राप्त न होने की स्थिति में उक्त आमंत्रण को ही अधिकृत आमंत्रण माना जायेगा।

महायोजनावार जनसुनवाई की तिथि व स्थानः–

1– रूड़की महायोजना–2041 (प्रारूप), दिनांक 08.07.2026 व 09.07.2026, स्थान–हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, रूड़की।

2– हरिद्वार महायोजना–2041 (प्रारूप), दिनांक 13.07.2026, स्थान–हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, मायापुर, हरिद्वार।

सचिव,
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।